न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 37/2019

प्रार्थी–	बनाम	अप्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी, बालोतरा		प्रकाशसिंह पुत्र किशनसिंह राजपुरोहित मैसर्स द जोधपुर स्वीट्स, सिवाना, तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक : 06.07.2022

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 02.07.2019 को श्री खेमाराम प्रवर्तन अधिकारी बालोतरा ने श्री सहीराम प्रवर्तन निरीक्षक चौहटन के साथ मौतबिरान के रूबरू अप्रार्थी के व्यावसायिक प्रतिष्ठान मैसर्स द जोधपुर स्वीट्स, सिवाना, तहसील सिवाना जिला बाड़मेर के परिसर पर जांच करने पहुंचे, जहां मौके पर दुकान मालिक अप्रार्थी प्रकाशसिंह पुत्र किशनसिंह राजपुरोहित उपस्थित मिला। उक्त होटल में मिठाई एवं नमकीन बनाकर ग्राहकों को विक्रय किये जाने का कार्य किया जा रहा था। इस दुकान की जांच की तो एक घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग में प्रयोग में लेना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डर (आईओसीएल) मौके पर जब्त किया गया जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार दिया गया है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:21:05 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

क्र. सं.	गैस सिलेण्डर न.	गैस कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का कुल वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर में भरी हुई गैस का वजन
1.	265156	IOCL	22.000 Kg	17.000 Kg	05.000 Kg

मौके पर उक्त दुकान में पाये गये घरेलू उपयोग के गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किये जाने एवं संग्रह करने पर उक्त गैस सिलेण्डर को जब्त सरकार किया गया। उक्त गैस सिलेण्डर को मैसर्स सिवाना गैस सर्विस, सिवाना के प्रोप्राईटर श्री केवलराम पुत्र श्री मोहनराम जाति मेघवाल निवासी सिवाना को सुपुर्दनामा पर सुपुर्द किया गया। अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात करने का आदेश फरमाया जावें।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजीबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अभियोजन अधिकारी को सुना। प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी ने प्रकट किया कि अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग लेते हुए पाये जाने पर उक्त सिलेण्डर मौतबिरान के रूबरू सीज किया गया है जो वर्तमान में गैस कम्पनी के स्थानीय [illegible] सर्विस, सिवाना को सुपुर्दगी पर दिया गया है। [illegible] गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश [illegible] (सी) व 7(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, [illegible]955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा है जो कि कारित

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:21:05 IST
Reason: SelfAttested

जुर्म की मौन स्वीकारोक्ति है। ऐसे में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरीत एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा सामग्री उपरोक्त विवरण के घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के कब्जे में आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तद्धीन बनाये गये द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 200 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन मे पाये जाने से उपरोक्त गैस सिलेण्डर राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राजसात की गई एवं सुपुर्दगी पर दी गई सामग्री घरेलू गैस सिलेण्डर मय द्रविकृत गैस का निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही करें।

5. आदेश आज दिनांक 06.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:21:05 IST
Reason: SelfAttested